दृष्टि The Vision

drishti

GENERAL STUDIES (Test–2)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

DTVF/23 (J-A)–M–**GSM (P-III)-2302**

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

Name: Manisha Dhame **Mobile Number:** 7440307149

Medium (English/Hindi): Hindi **Reg. Number:**

Center & Date: MN, 27/06/23 **UPSC Roll No.** *(If allotted)*:

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

*इसमें **बीस** प्रश्न हैं तथा **हिन्दी** और **अंग्रेज़ी** दोनों में छपे हैं।*
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।
प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.*
All the questions are compulsory.
The number of marks carried by a question is indicated against it.
Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.
Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.
Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

A3

drishti | दृष्टि The Vision

Feedback

1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता)
2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता)
3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता)
4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह)
5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता)
6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता)

Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

1. "अध्यादेश का पुनः प्रख्यापन, संविधान के साथ एक छल तथा लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया का विध्वंस है।" प्रमाणित कीजिये। (150 शब्द) 10

"Repromulgation of Ordinance is a fraud on the constitution and a subversion of democratic legislative process". Substantiate. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-123 व अनुच्छेद-213 के अंतर्गत क्रमश: राष्ट्रपति व राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है

अध्यादेश जारी करने की परीस्थितियां →

⇒ संसद या राज्य विधानमंडल सत्र में न हो, या एक ही सदन सत्र में होने पर

⇒ कानून निर्माण अत्यावश्यक हो।

⇒ अध्यादेश को 30 दिन के भीतर अनुमति लेनी होती है (सत्र होने पर)
6 माह अधिकतम (सत्र न होने पर)

अध्यादेश का पुनः प्रख्यान

वर्तमान राजनीतिक संदर्भ में देखा गया है कि दल अपने संकीर्ण व हितों के लिए अध्यादेश को जारी कर रहे, तथा इसे संसद व विधानमंडल से बायपास कर रहे।

Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

तथा उन्हीं अध्यादेश को 6 माह बाद भी पुनः प्रख्यापित किया जाता है। उदा. - बिहार में एक ही अध्यादेश 4-4 सालों तक चला।

↳ संविधान के छल तथा लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया का विध्वंस

⟶ कार्यपालिका, विधायिका के प्रति उत्तरदायी है।

⟶ संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने डी० सी० वाधवा व कृष्ण कुमार मामले में इसे संविधान के साथ इसे किया विश्वासघात बताया।

आगे की राह ⟶

↳ अध्यादेश आवश्यक होने पर ही जारी किए जाते तथा सदन के पटल पर रखे जाए।

↳ अध्यादेश के प्रावधान के केवल भाषा बदल पुनः प्रख्यापन के राजनीतिक एजेंडे को रोका जाना चाहिए।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

2. "मूल संरचना का सिद्धांत आवश्यक और वांछनीय दोनों है।" कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

"Doctrine of basic structure is both necessary and desirable." Critically analyze the statement. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले, 1973 में संविधान के मूलढाँचे की अवधारणा रखी गयी है।

मूल ढाँचे से आशय संविधान के उन आदर्शों, सिद्धांतों के समुच्चय से है जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और जो संवैधानिक नैतिकता बनाए रखते है।

मूल संरचना का सिद्धांत आवश्यक और वांछनीय दोनों है ⟶ (1) संविधान संशोधन प्रथम, 24वें, 25वें द्वारा संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन हुए जिन्होंने लोगों के मूल अधिकारों के ऊपर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को वरीयता दी।

(2) न्यायालय की शक्तियों को सीमित किया गया था।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

(9) संघात्मक शासन व्यवस्था, लोकतंत्र के मूल्य के अनुरूप मूलसंरचना।

विरोध में तर्क →

⇒ मूल संरचना अपरिभाषित तथा अस्पष्टता बनी हुई है कि क्या-क्या मूल संरचना में शामिल।

⇒ न्यायिक सक्रियावाद को बढ़ावा मिला।

⇒ शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के विपरीत क्योंकि कानून निर्माण संसद का कार्य है।

मूल संरचना का सिद्धांत यद्यपि न्यायपालिका द्वारा दिया गया किन्तु यह भारतीय संविधान की जीवंतता को बनाए रखने हेतु आवश्यक व भारतीय नवाचार है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

3. भारतीय प्रवासी समुदाय की प्रासंगिकता तथा भारत के आर्थिक एवं सामरिक हितों के संवर्द्धन में इनकी भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Discuss the significance of India's diaspora and its role in enhancing India's economic and strategic interests. (150 words) 10

भारतीय प्रवासी समुदाय 1.8 करोड़ जनसंख्या के साथ सभी महाद्वीपों में फैले हुए हैं जिसमें अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका इत्यादि है।

भारतीय प्रवासी समुदाय की प्रासंगिकता →

⇒ भारतीय मूल से होने के कारण राष्ट्र के विकास में भूमिका निभा सकते।

⇒ निवेश का माध्यम जैसे धन, शिक्षा, प्रौद्योगिकी इत्यादि।

⇒ भारतीय सॉफ्ट पॉवर का हिस्सा।
जैसे → अमेरिका के सिलिकन वैली में छठ पूजा।

⇒ भारतीय संस्कृति के राजदूत का कार्य व प्रचारकर्ता जैसे - यूरोप में डांडिया नृत्य।

⇒ ~~मानवसंसा~~ मानवसंसाधन, कौशल व उन्नत शिक्षा से युक्त प्रवासी समुदाय।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

भारत के आर्थिक एवं सामरिक हितों के संदर्भ में भूमिका। – (1) खाड़ी देशों व अन्य क्षेत्रों से प्रेषण की प्राप्ति (विश्व में सबसे ज्यादा प्रेषण प्राप्तकर्ता)

(2) कौशल प्राप्ति MNCs में कार्य अनुभव व प्रौद्योगिकी में दक्ष ⇒ भारत के विकास में भूमिका

(3) निवेश का माहौल → 'भारत में निवेश'

(4) पर्यटन → 'देखो अपना देश'

(5) नीतियों को परिवर्तित करवाने में

(जैसे)- भारत-USA परमाणु असैन्य समझौता।

(6) राजनीति के सर्वोच्च पदों पर कमला हैरिस, ऋषि सुनक' जैसे व्यक्तित्व भारतीय हितों के अनुरूप।

भारतीय प्रवासी समुदाय वर्तमान में सबसे बड़े समुदाय में से एक है जो भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हितों में महत्वपूर्ण निभा सकता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

4. "राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) एक अनूठा मंच है, जिसे देश भर में पर्यावरणीय मुद्दों को स्वतः संज्ञान में लेने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।" इस संदर्भ में राष्ट्र के पर्यावरण शासन में NGT के महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द) 10

"National Green Tribunal (NGT) is a unique forum endowed with suo motu powers to take up environmental issues across the country." In this context analyse the importance of NGT for environmental governance of the nation. (150 words) 10

राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई है जिसका उद्देश्य पर्यावरण न्याय व पहुँच को बढ़ावा देना है।

NGT की शक्तियाँ →

⇒ पर्यावरण मुद्दों को स्वतः संज्ञान में लेने की शक्ति

⇒ पर्यावरणीय वादों में जुर्माने लगाने व दंड देने की शक्ति।

⇒ NGT के मामलों की अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में

⇒ सिविल विधि से बाध्य नहीं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है।

उपलब्धियाँ → • 'Living of Art' के यमुना किनारे कार्यक्रम के दौरान जुर्माना

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

जुर्माना लगाया गया।

=> NCR में 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया गया।

सीमाएँ

=> वर्तमान में इसके निर्णयों की अपील उच्च न्यायालय में की जा रही है।

=> NGT की संरचना में न्यायिक सदस्यों की भूमिका अग्रणी है किन्तु पर्यावरण सदस्यों को महत्व नहीं।

=> वर्तमान में केवल 8 कानूनों के तहत ही मामले दर्ज किए जाते।

महत्व

=> पर्यावरण के अधिकार (अनुच्छेद-21) को लागू करने में।

=> सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप।

=> राज्य के नीति निदेशक तत्वों के हित में।

पर्यावरण न्याय वर्तमान में उभरता क्षेत्र है जिसमें NGT ने उल्लेखनीय कार्य किया है जिसे और सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

5. भारत में न्यायिक सक्रियता का महत्त्वपूर्ण योगदान एक सुरक्षा वाल्व तथा यह विश्वास प्रदान करना है कि न्याय पहुँच से परे नहीं है। कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द) 10

The great contribution of Judicial activism in India has been to provide a safety valve and a hope that justice is not beyond reach. Critically analyze the statement. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

न्यायसक्रियता न्याय प्रदान करने का एक प्रकार है जिसमें न्याय स्वयं मामलों को संज्ञान लेकर अग्रणी रूप में सुनवाई करती है यह जनहितवाद का चरम रूप होता है।

न्यायिक सक्रियता सुरक्षा वाल्व प्रदान करता है तथा विश्वास निर्माण करता।—

=> मूलअधिकारों के संरक्षणकर्ता के रूप में लोगों के अधिकारों को संरक्षित करता है।
उदा – कॉमनवेल्थ मामले में श्रमिकों के अधिकार अनुच्छेद-23 का उल्लंघन हो रहा था।

=> सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है जो संविधान का मूल ढांचा है।

=> राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुरूप है।

=> पीड़ित व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति भी उनके लिए न्याय की मांग कर सकता।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उदा.- नियामगिरि में बॉक्साइट खनन में जनजातीय विस्थापन के मामले में।

विपक्ष में तर्क =>

=> शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत क्योंकि न्यायालय ~~प्रदान~~ न्याय प्रदान करता तथा कार्यपालिका पहुँच बढ़ाती है।

=> क्रियात्मक कार्य बाधित -
जैसे- राष्ट्रीय राजमार्ग के 1Km दायरे के रेस्टोरेंट व दुकाने हटवाना।

=> निधि का भुगतान सरकार को करना पड़ता है।

न्याय तक पहुँच प्रदान करना भारतीय संविधान के अनुकूल है किन्तु इसी के साथ शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का भी पालन किया जाना चाहिए जिससे इनका बेहतर सामंजस्य हो सके।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

6. चुनावों के राज्य वित्तपोषण की अवधारणा से आप किस सीमा तक सहमत हैं? (150 शब्द) 10
To what extent do you agree with the concept of state financing of elections? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

राज्य वित्तपोषण से आशय राज्य की ओर से चुनाव लड़ने, प्रचारित करने इत्यादि के लिए उम्मीदवार व संगठनों को वित्त प्रदान करने से है।

~~राज्य के~~ चुनावों के वित्त पोषण के पक्ष में तर्क:- (i) समान स्तर पर चुनाव लड़ने का अवसर

(ii) समाज के पिछड़े व हाशिये पर जुड़े लोगों की भी भागीदारी बढ़ेगी।

(iii) आचार संहिता का पालन किया जाना आसान होगा।

(iv) चुनावी खर्च की निगरानी संभव हो सके।

(v) ईमानदार व सम्मानित व्यक्ति राजनीति में प्रवेश कर सकेंगे।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

विपक्ष में तर्क

=> भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।

=> राजनीतिक दल व व्यक्ति चुनावी वित्तपोषण का अवैध फायदा उठायेंगे।

=> अगंभीर लोग, बाहुबली व धनबल का प्रयोग बढ़ेगा।

=> राज्य के संसाधनों व राजस्व पर दबाव पड़ेगा => कल्याणकारी योजनाएं बाधित होंगी।

उपाय

=> चुनावी वित्तपोषण में पिछला चुनावी प्रदर्शन देखा जाए।

=> चुनावी खर्च की डिजिटल निगरानी रखी जाए, पारदर्शिता बर्ती जाए तथा।

=> आचार संहिता का पालन किया जाए।

=> RPA, 1951 में स्पष्ट प्रावधान किए जाएं।

उपर्युक्त तर्कों के आधार पर राज्य वित्तपोषण सही हो सकता है बशर्ते उसके लिए समुचित रणनीति अपनाई जाए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

7. सामाजिक अंकेक्षण, जवाबदेहिता को लागू करने और प्रशासन में पारदर्शिता लाने का एक महत्त्वपूर्ण तंत्र है। भारत में सामाजिक अंकेक्षण के लिये उपलब्ध विभिन्न विधायी समर्थनों पर प्रकाश डालिये। (150 शब्द) 10

Social Audit is an important mechanism to enforce accountability and provide transparency in the administration. Highlight various legislative supports available for social audit in India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सामाजिक अंकेक्षण से तात्पर्य है कि किसी कार्यक्रम, योजना इत्यादि के परिणाम का वास्तविक धरातल पर समाज से फीडबैक लेना व स्थिति देखने से है।

जवाबदेहिता को लागू करने और पारदर्शिता लाने में भूमिका → (i) चूंकि सामाजिक अंकेक्षण ग्राउंड लेवल की जानकारी प्रदर्शित करते हैं इसलिए जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की जा सकती।

(ii) आंकड़ों व परिणाम का स्पष्ट उल्लेख जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता।

(iii) नीतियों / कार्यक्रम में भ्रष्टाचार या लालफीताशाही होने पर सिविल सेवक के ऊपर जवाबदेही होगी।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कानूनी प्रावधान

⇒ महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, २००५ के अंतर्गत रोजगार का एवं विकास कार्यों का अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है।

⇒ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदत्त सेवाओं व वस्तुओं को सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है।

ध्यातव्य है कि सामाजिक अंकेक्षण नागरिक केंद्रित शासन व नागरिक भागीदारी का महत्वपूर्ण पहलू है जो सुशासन की दिशा में कदम है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

8. प्रस्तावित बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 भारत में सहकारी समितियों के संचालन में सुधार का उद्देश्य रखता है। इस संशोधन के महत्त्व पर बल देते हुए इसके प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The proposed multi-state cooperative societies (Amendment) Bill 2022 seeks to revamp the operation of cooperative societies in India. Discuss the key provisions of the Bill, emphasizing the importance of this amendment. (150 words) 10

भारतीय संविधान के अंतर्गत सहकारी सहकारी समितियों की स्थापना मूल अधिकार है। इसके संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित है –

अनुच्छेद - 19 (C)
अनुच्छेद - 43 B
अ.भाग - 9 B

हाल ही में बहु-राज्यीय सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया गया है - जिसके प्रावधान निम्नलिखित है -

(1) 'सहकारी समिति' राज्य सूची के विषय है इसलिए इस संबंध में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार की है।

(2) 'बहुराज्यीय-सहकारी' समिति के संदर्भ में राज्य की बजाय केंद्र का नियंत्रण होगा जिसका पर्यवेक्षण RBI द्वारा किया।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

जाएगा।

3) 'सहकारी मंत्रालय' की स्थापना की गई।

महत्व →

(1) विलियन के दोहराव को कम करेगा क्योंकि पहले RBI व रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से दोहराव होता था।

(2) बहु-राज्यीय सहकारी समिति के संचालन में लचीलापन बढ़ेगा जिससे इनकी लाभ सृजन की सफलता बढ़ेगी।

(3) लक्षित नीतियों को लागू करने में आसानी होगी।

वर्तमान संशोधन सहकारी समितियों के संचालन को सुगम बनाएगा तथा इनकी सफलता का दोहन करने में महत्वपूर्ण है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

9. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये, जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। (150 शब्द) 10

Critically evaluate the 73rd Constitutional Amendment Act 1992, that seeks to establish democracy at the grassroots. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा संविधान में भाग-9 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया था।

जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना में भूमिका! — (i) प्रति 5 वर्ष में चुनाव द्वारा लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने व चुनाव करने का अधिकार।

(ii) महिलाओं के लिए 33% आरक्षण ने उन्हें राजनीति में प्रत्यक्ष भूमिका निभाने का अवसर दिया।

(iii) अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए अध्यक्ष पद व प्रतिनिधि पद का आरक्षण (जनसंख्या के अनुसार) ने उन्हें राजनीति के हाशिये पर खड़े समुदाय से बाहर निकालने में भूमिका निभाई।

(iv) 'ग्राम-स्वराज' की धारणा को

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

मूर्त रूप प्रदान किया - 'आपकी पँचायत आपकी संसद बनी'

(vi) विकास कार्यों की 'Bottom-up' दृष्टिकोण लागू।

नकारात्मक पक्ष

⇒ सरपंच पति - ने महिला सशक्तीकरण की उपेक्षा कर दी। वह अभी भी रबर स्टैंप ही है

⇒ पँचायत चुनावों में जातिआधारित, धर्म आधारित व दलगत राजनीति को बढ़ावा मिला।

⇒ विषयों (29 विषय), कार्य, फंड इत्यादि का राज्य द्वारा पर्याप्त हस्तांतरण नहीं।

आगे की राह
- → महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा
- → शक्तियों का हस्तांतरण
- → जागरूकता बढ़ायी जाए।

उपर्युक्त संशोधन गांधीजी के 'ग्राम स्वराज' को मूर्त रूप देने में सक्षम है जिसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

10. जनगणना में होने वाली देरी से विकासात्मक पहलों की प्रभावशीलता और दक्षता प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Delay in Population census has the potential to affect the efficacy and efficiency of developmental initiatives. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'जनगणना' केंद्र सूची का विषय है जिसके अंतर्गत गृह मंत्रालय में जनगणना आयुक्त के निर्देशन में देश की जनगणना का कार्य संपन्न किया जाता है।

जनगणना का महत्व:-

⇒ देश की जनसंख्या की मात्रात्मक जानकारी, आकार एवं प्रकृति की जानकारी प्राप्त होती।

⇒ जनसंख्या के विभिन्न स्तरों जैसे बाल जनसंख्या, महिला जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या, व वृद्ध जनसंख्या का स्पष्ट रूप प्राप्त होता।

⇒ जनसंख्या में बाल मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, मृत्यु दर, जन्म दर इत्यादि का उल्लेख होता है।

⇒ जनसंख्या के जीवन स्तर जैसे- आजीविका, आय, शिक्षा इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

क्रियात्मक पहलों की प्रभावशीलता और क्षमता प्रभावित होने की संभावना :-

(i) जनसंख्या की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं से नीति निर्माण, कार्यक्रमों व योजनाओं में व्यवहारिक अस्पष्टता होगी।

(2) जनसंख्या का प्रारूप व प्रकृति की स्थिति अस्पष्ट जिससे लक्षित नीतियां चलाने व सकारात्मक परिणाम लाने में अत्यधिक मुश्किल जैसे- वृहद जनसंख्या के आंकड़े नहीं होने पर वृहद सशक्तीकरण कार्यक्रमों में अस्पष्टता।

(3) जनसँख्या लाभांश, मानवसंसाधन, सशक्तीकरण, कौशल विकास जैसी संकल्पनाएँ अधूरी रहने की संभावनाएं।

कदम जो उठाए जाए
- → यथासंभव जनसँख्या कार्य संभव किया जाए जिसमें "डिजिटल सेंसस" का अनुप्रयोग किया जाए
- → लक्षित व सकारात्मक हस्तक्षेप किए जाए
- → विभिन्न मंत्रालय व संस्थाओं की रिपोर्ट, रैंकिंग के साथ समन्वय स्थापित किया जाए।

विश्व की सबसे बड़ी आबादी के समग्र विकास की प्रथम कुंजी जनगणना है जिसे पूरा किया जाना चाहिए।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

11. बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के आलोक में भारत-जापान सामरिक संबंधों में सहयोग के उभरते क्षेत्र और चुनौतियाँ क्या हैं? (250 शब्द) 15

In light of the changing geopolitical landscape, what are the emerging areas of cooperation and potential challenges in the India-Japan strategic relationship? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

वर्तमान में बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य जिसमें रूस-यूक्रेन युद्ध, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा जैसे मुद्दे हैं, उसमें भारत-जापान संबंध एक भू-रणनीतिक भूमिका निभाने में सक्षम है।

भारत-जापान सामरिक संबंधों में सहयोग के उभरते क्षेत्र :-

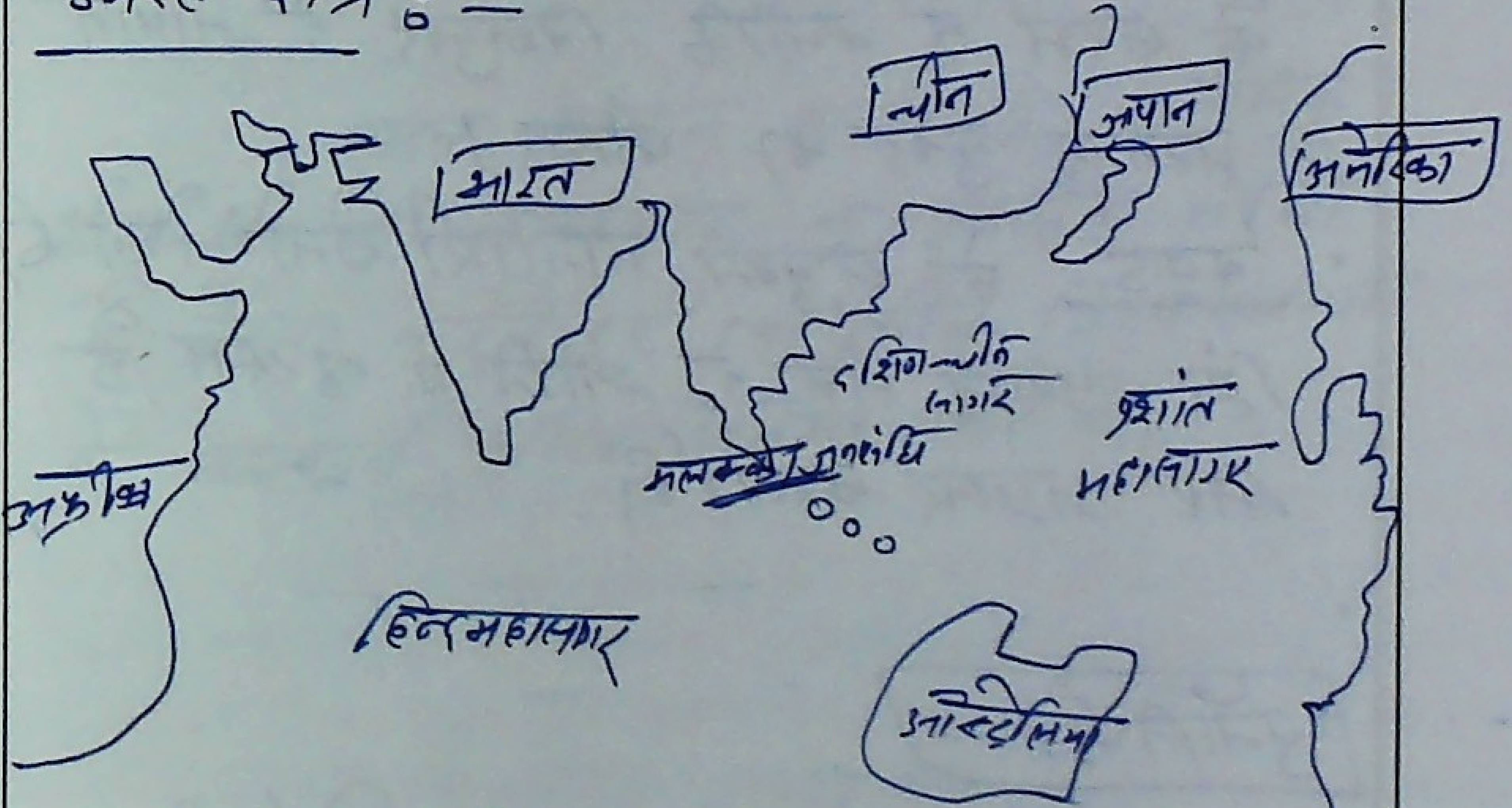

- हिन्द प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता व सुरक्षा में भूमिका निभाने हेतु चूंकि इनकी भू-रणनीतिक अवस्थिति है।
- एशिया में बहुध्रुवीय व्यवस्था के बनाए

Copyright – Drishti The Vision Foundation

रखने में क्योंकि चीन का वर्तमान उभरता स्वरूप एशिया के शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है।

- खुला एवं मुक्त सामुद्रिक व्यापार मार्ग को स्थापित करने का साझा लक्ष्य।
- अफ्रीका में विकास के लिए → अफ्रीका-इंडिया ग्रीन ग्रोथ कॉरिडोर में संयुक्त भूमिका।
- वर्तमान में बढ़ते व्यापक विनाश के हथियारों के संदर्भ में क्योंकि विश्वयुद्ध में जापान परमाणु युद्ध का पीड़ित।
- 'क्वाड' में संयुक्त भागीदारी दोनों देशों की हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति व सुरक्षा के लिए अग्रसर करती है।
-

चुनौतियाँ

⇒ चीन का एक तरफा उभार उन्हें 'स्ट्रीग ऑफ पर्ल' के माध्यम से घेरने की नीति।

⇒ मुक्त व्यापार समझौते होने के बावजूद व्यापार की कमी बनी हुई।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

⇒ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बहुआयामी भूमिका का निर्वाह नहीं किया।

प्रयास – जो किये जाने चाहिए

⇒ संवाद को बढ़ाया जाए

⇒ संयुक्त राष्ट्र संगठन के सुरक्षा परिषद व अन्य शाखाओं में सुधार किया जाए।

⇒ 'Voice of Asia' को प्रदर्शित किया जाए।

भारत-जापान अपनी भू-रणनीतिक द्वारा भू-राजनीतिक, भू-आर्थिक संबंधों को बेहतर करते हुए बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

12. समकालीन वैश्विक व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र के महत्त्व का आकलन कीजिये तथा इसके सुधार और पुनरुद्धार की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Assess the significance of the United Nations in the contemporary world and discuss the need for its reform and revitalization. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना '24 अक्टूबर 1945' को हुई जिसका उद्देश्य विश्व शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना था।

संयुक्त राष्ट्र का महत्व समकालीन विश्व व्यवस्था में :- (i) शांति स्थापित करने में - रूस-यूक्रेन युद्ध, सीरिया गृहयुद्ध, यमन में गृहयुद्ध, इथियोपिया के टिग्रे क्षेत्र में युद्ध इत्यादि राष्ट्र की भूमिका की प्रासंगिकता को चिन्हित करते हैं।

(2) बढ़ता ग्लोबल साउथ व ग्लोबल नॉर्थ का बढ़ता अंतर - क्योंकि महासभा में 'एक सदस्य एक वोट' की अवधारणा लागू।

(3) विश्व के सभी देशों को एक मंच उपलब्ध करवाता है जिसमें वे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करें।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(4) अंतर्राष्ट्रीय समस्याएँ जैसे शरणार्थी, समस्या, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल इत्यादि के बारे में देशों को एक साथ लाने में।

सुधार व पुनरुद्धार की आवश्यकता।

⇒ संयुक्त राष्ट्र में पूंजीवादी व पश्चिमी देशों का दबदबा जबकि जनसंख्या के मामले में अफ्रीका व एशिया मुख्य है।

⇒ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रावधान 'P5 और अन्य' की धारणा को बढ़ावा देते हैं जो शक्ति संरचना के असामंजस्य को प्रदर्शित करता।

⇒ संयुक्त राष्ट्र के ज्यादातर अभियान एशिया व अफ्रीका के देशों में चलाए जाते हैं किन्तु प्रशासन में इनकी भूमिका हाशिए पर
जैसे - शांति अभियानों का 70% अफ्रीका में जबकि सुरक्षा परिषद में अफ्रीका का प्रतिनिधित्व नहीं।

⇒ आतंकवाद, शरणार्थी समस्या, जलवायु परिवर्तन इत्यादि के संदर्भ में विशेष प्रगति नहीं हुई।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

आगे की राह:-

⇒ सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाए जिसमें 'G-4' कंट्री को भी अवसर दिया जाए स्थायी सदस्यों के तौर पर।

⇒ वीटो शक्ति में संशोधन किया जाए।

⇒ महासभा को और अधिक लोकतांत्रिक व विकेंद्रीकृत किया जाए।

⇒ देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप 'मानवाधिकार' हनन के व्यापक मामलों में ही किया जाए।

उपर्युक्त आधारों पर UNO में सुधार एवं पुनरुद्धार अपरिहार्य है जिससे विश्व शांति, स्थिरता व सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

13. उन कारकों एवं भू-राजनीतिक हितों पर चर्चा कीजिये जो मध्य एशिया के साथ भारत के संबंधों को एक आकार प्रदान करते हैं। उन कदमों का भी उल्लेख कीजिये जिन्हें भारत को इस क्षेत्र में अपनी पहुँच बढ़ाने के लिये उठाने की आवश्यकता है। (250 शब्द) 15

Discuss factors and geopolitical interest which shapes India's engagement with central Asia. Also Mention steps which India need to take to enhance its reach in the region. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत और मध्य एशिया के संबंध सभ्यतागत रहे हैं जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

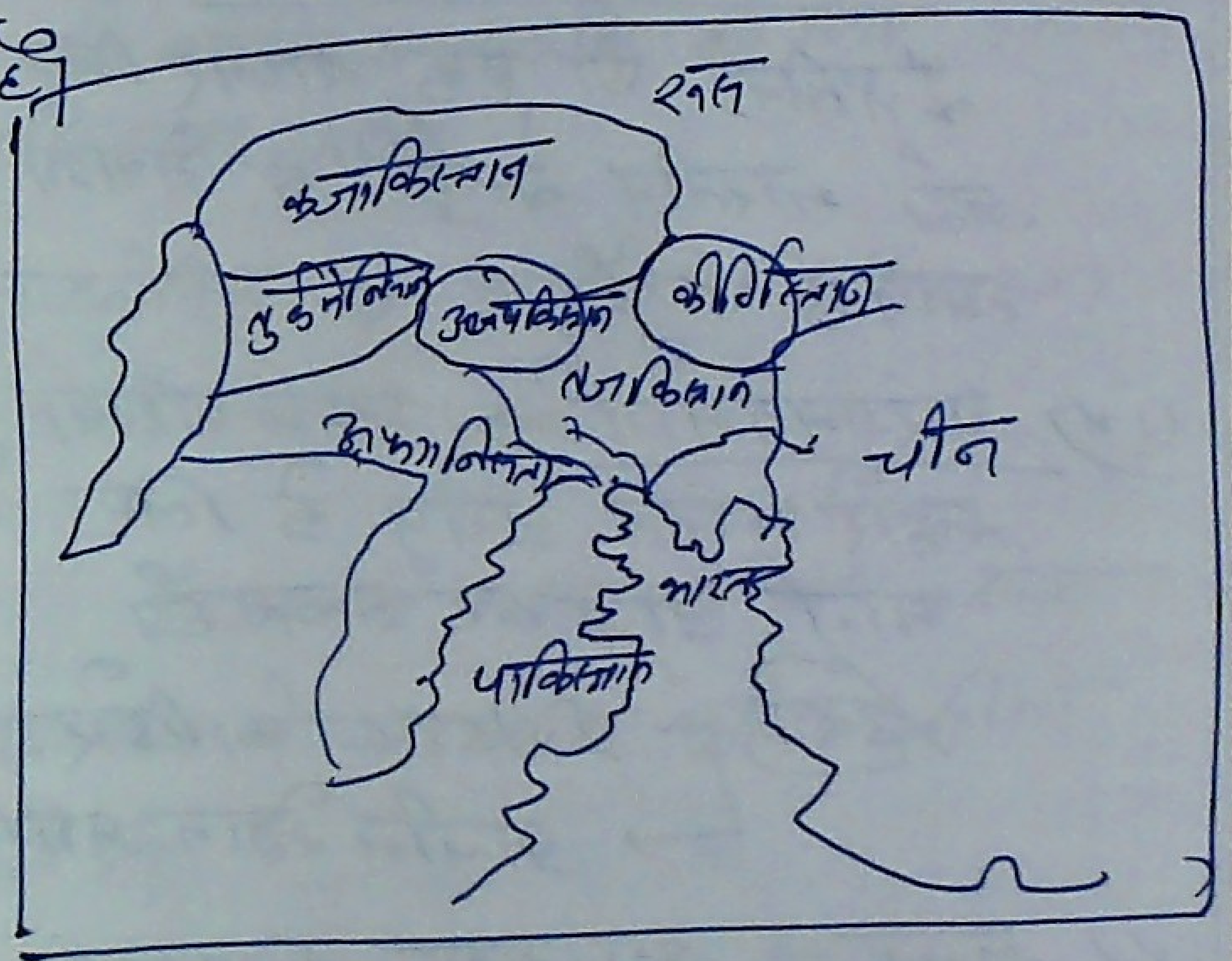

भारत व मध्य एशिया के संबंधों को आकार देने वाले कारक:- (i) ऐतिहासिक कारक

जिनमें मध्य एशिया के सहारे ही आर्य, तुर्क, कुषाण, हूण, पहलव जैसे शासकों का भारत आगमन हुआ है जो यहीं के होकर रह गए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

(ii) ऊर्जा सुरक्षा → मध्य एशिया में यूरेनियम व अन्य सुरक्षा खनिज की प्रचुरता भारतीय ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उदा. - कजाकिस्तान में यूरेनियम का तीसरा सबसे बड़ा भंडार।

(iii) ~~बाज~~ व्यापार व आर्थिक कारक → भारत की कंपनियों को एक बाजार मिल रहा है जहां भारतीय वस्तुओं व सेवाओं की व्यापक मांग है।

(iv) पारगमन मार्ग → मध्य एशिया के सहारे भारत यूरोप के लिए वैकल्पिक मार्ग प्राप्त कर सकता है।
उदा. - INSTC कॉरिडोर
→ प्राचीन रेशम मार्ग

(v) सुरक्षा → आतंकवाद, कट्टरवाद व धार्मिक रूढ़िवाद के खिलाफ साझा ~~केन्द्र~~ लक्ष्य

(vii) एशिया में भारत की भू-राजनीतिक भूमिका निभाने में।

(viii) अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी से उत्पन्न ~~निर्वाह~~ निर्वात को भरने के लिए मध्य एशिया का सहयोग

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

आवश्यक।

प्रयास → SCO का गठन किया गया
→ मध्य एशिया-दिल्ली संवाद मंच

उठाए जा सकने योग्य कदम

⇒ ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक समझौता किया जाना चाहिए।

⇒ क्षेत्र की शांति व समृद्धि के लिए समन्वय किया जाना चाहिए।

⇒ भू-राजनीतिक, भू-आर्थिक स्थितिक्षमता का दोहन किया जाना।

भारत एवं मध्य एशिया वर्तमान विश्वव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

14. संविधान निर्माताओं ने भारत के लिये एक समान नागरिक संहिता की "आशा और अपेक्षा" की थी, लेकिन इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस संदर्भ में भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। इन चुनौतियों से निपटने के लिये सरकार क्या कदम उठा सकती है? (250 शब्द) 15

The founders of the Constitution had "hoped and expected" a Uniform Civil Code for India but there has been no attempt at framing one. In this regard discuss the need for a Uniform Civil Code in India and examine the challenges in its implementation. What steps can be taken by the government to overcome these challenges? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान के भाग-4 में 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व में' अनुच्छेद-44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया जिसके लागू करने की 'आशा एवं अपेक्षा' संविधान निर्माताओं द्वारा की गई थी।

संविधान निर्माताओं की 'आशा एवं अपेक्षा' क्योंकि थी – (i) भारत का विभाजन धर्म के नाम पर इसलिए आजादी के समय ही इसे लागू करने से विभाजन का खतरा और बढ़ सकता था।

(ii) स्वतंत्रता पश्चात् गरीबी, भुखमरी, अकाल, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसे विकासात्मक कार्यों को प्राथमिकता दी जानी थी।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(iii) लोगों की नैतिक प्रगति से अपेक्षा।

प्रयास

⇒ हिंदु विवाह अधिनियम, 1956

⇒ हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1955

⇒ ~~मुस्लिम~~ शरीयत कानून

⇒ पारसी कानूनों को संहिताबद्ध किया।

⇒ शाह बानो मामला, शायरा बानो केस इत्यादि ने मुस्लिम महिलाओं को अन्य धर्म की महिलाओं के समान अधिकार दिए।

⇒ सरला मुद्गल केस में दत्तक ग्रहण को लेकर समान सिविल प्रक्रिया को अपनाने का निर्देश।

भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता

⇒ राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में यह राज्य का कर्तव्य है।

⇒ महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त होंगे उन्हें पृथक धर्म, पंथ इत्यादि के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाएगा।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

⇒ दत्तक ग्रहण, उत्तराधिकार जैसे मामलों का सरलीकरण सामाजिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

⇒ भारतीय संविधान के 'धर्मनिरपेक्ष' चरित्र का चरितार्थ करेगा।

चुनौतियाँ

⇒ मूलअधिकारों का हनन क्योंकि 'धर्म की स्वतंत्रता' अनु. 25-28 तक प्राप्त।

⇒ यह कृत्रिम समानता होगी जिससे समाज में विभाजन में को बढ़ावा मिल सकता है।

⇒ 'धर्मनिरपेक्ष' चरित्र के विपरीत जो कि संविधान का मूलढांचा है।

आगे की राह

⇒ अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ाया जाए।

⇒ लैंगिक समानता स्थापित करने के अन्य कदमों पर भी ध्यान दिया जाए।

⇒ समाननागरिक संहिता को लेकर जागरुकता बढ़ाई जाए तथा इसे क्रम से विभिन्न भागों में लाया जाए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

15. "भारतीय संसद एक संप्रभु विधायिका नहीं है; इसकी शक्तियाँ विशाल हैं लेकिन असीमित नहीं।" कथन पर टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15

"The Indian Parliament is not a sovereign legislature; it has vast but not unlimited powers." Comment on the statement. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान के भाग-5 में अध्याय-1 में संसद का उल्लेख किया गया जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा इसके तीन अंग है।

~~भारतीय संसद एक संप्रभु विधायिका~~

भारतीय संसद की विशाल शक्तियाँ →

⇒ संविधान को संशोधित करने की शक्ति प्राप्त अनुच्छेद 368 के तहत जिसके अंतर्गत यह मूलअधिकार व अन्य मामलों में परिवर्तन कर सकती।

⇒ विधि निर्माण के शक्ति के तहत -

- केंद्रीय सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती
- समवर्ती सूची में केंद्रीय कानून, राज्य कानून पर प्रभावी।
- अनुच्छेद-249 के तहत राज्यसभा की अनुमति पर राज्य सूची के विषयों पर कानून।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

=> राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की अनुमति देने एवं समाप्त करने की अनुमति देने |

=> राष्ट्रपति शासन व वित्तीय आपातकाल का अनुमोदन करने की शक्ति |

b) भारतीय संसद एक संप्रभु विधायिका नहीं है और नहीं असीमित है!-

(1) संविधान की सर्वोच्चता होने के कारण संसद की शक्तियों पर नियंत्रण |

(2) शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत लागू जिसके अंतर्गत न्यायपालिका की भी भूमिका है|

(3) संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्तियों को सीमित करता |
(केशवानंद भारती वाद 1973)

(4) भारतीय संविधान का 'संघात्मक' शासन स्वरूप इसे राज्यों के साथ शक्ति विभाजित करता है|

(5) भारतीय संविधान के संप्रभुता लोगों में निहित होना तथा

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

लोकतंत्रात्मक स्वरूप |

भारतीय संसद ब्रिटेन की संसद की तरह न संप्रभु संस्था है न अमेरिका की ~~संविधान संविधान~~ न्यायिक सर्वोच्चता की स्थिति से प्रभावित है यहां संविधान की सर्वोच्चता है और संप्रभुता लोगों में निहित है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

16. वैश्वीकरण के युग में, विदेश नीति को आकार देने में पैरा डिप्लोमेसी की अवधारणा का महत्त्व उत्तरोत्तर बढ़ा है और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपराष्ट्रीय अभिकर्त्ताओं की बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित करता है। भारत के संदर्भ में सविस्तार वर्णन कीजिये। (250 शब्द) 15

"In the era of globalization, the concept of Para diplomacy has become increasingly important in shaping foreign policy, highlighting the growing significance of subnational actors in international relations". Elaborate in the context of India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

वैश्वीकरण से आशय आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक संदर्भ में बाधारहित वस्तुओं, सेवाओं, मानव संसाधनों, संस्कृति इत्यादि के प्रवाह से है।

पैरा डिप्लोमेसी ~~एक~~ कूटनीति का एक प्रकार है जिसमें राष्ट्रेतर व गैर-राष्ट्रीय कारक की भूमिका विदेश नीति में महत्वपूर्ण होती है।

वैश्वीकरण के युग में, विदेशी नीति को आकार देने में पैरा डिप्लोमेसी की अवधारणा बढ़ती जा रही है—

(1) संसाधनों का बाधारहित प्रवाह
(2) लोगों का लोगों से जुड़ाव बढ़ रहा है, ~~व~~ जिससे समाज व संस्कृतियों को समझने का अवसर मिल रहा।
(3) यह सरकारों व शासन प्रणाली को

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपराष्ट्रीय अभिकर्ताओं की बढ़ती भूमिका का प्रदर्शन:—

⇒ भारतीय प्रवासी समूह द्वारा भारत-~~भी~~ अमेरिका परमाणु असैन्य सहयोग समझौता करवाने में निभायी गयी भूमिका।

⇒ पश्चिमी में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा एशिया, अफ्रीका में पश्चिमीकरण को लेकर निर्मित सकारात्मक अभिवृत्ति
जैसे - बेंगुलोर में MNCs में भारतीय कर्मचारी वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं।

⇒ चाइनीज फूड द्वारा चाइना की संस्कृति ~~का~~ को प्रसारित करने का कार्य।

⇒ अमेरिका, ~~व~~ ब्रिटेन, इत्यादि देशों के सर्वोच्च राजनीतिक पदों पर ~~व~~ प्रवासी भारतीय व भारतीय मूल की पहुँच ने उन्हें भारत के प्रति रूपांतरित किया।
उदा - भारतीय प्रधानमंत्री की हालिया 'state visit' अमेरिका में

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

पैराडिप्लोमेसी वर्तमान में भू-राजनीतिक, भू-आर्थिक व भू-सामाजिक संबंधों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

17. भारत की राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति के उद्देश्य, लक्ष्यों और महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15
Discuss the objective, goals and significance of India's National Geospatial policy. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

18. 'गरिमा मानव जीवन का सार है' और यही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का लक्ष्य है। मानवाधिकारों के संरक्षण में NHRC के प्रदर्शन का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द) 15

'Dignity is the essence of human life' and it is the objective of NHRC. Evaluate the performance of NHRC in preserving human rights. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

19. स्वयं सहायता समूह (SHG) देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इन समूहों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Self Help Groups (SHGs) are the panacea for the socio-economic development of the country. Discuss the steps taken by the government to promote these groups.

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

स्वयं सहायता समूह समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों का एक छोटा समुच्चय होता है जिनका साझा उद्देश्य होता है।

देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में SHG की भूमिका:-

⇒ गरीब व वंचित समुदाय को अपनी समस्याओं से निजात पाने हेतु जुड़ने का अवसर देता है।

⇒ बचत का अवसर → चूंकि सदस्य इसमें राशि एकत्रित करते हैं जिसका प्रयोग वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में करते हैं।

⇒ महिला व अन्य हाशिये पर पड़े व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ी
↳ SHG में 60-70% महिलाएं।

⇒ पूंजीनिर्माण का माध्यम बन रहा है।

⇒ मानवसंसाधन का निर्माण हुआ है।

⇒ आवश्यकता पूर्ति व निवेश का विकल्प उपलब्ध हुआ।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

20. विश्व के लिये ताइवान के सामरिक महत्त्व का आकलन करते हुए यह निर्धारित कीजिये कि एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में इसकी अवस्थिति और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक संभावित फ्लैशपॉइंट क्षेत्र के रूप में यह 21वीं सदी में शक्ति के भू-राजनीतिक संतुलन को कैसे प्रभावित करता है? (250 शब्द) 15

Assess the strategic significance of Taiwan for the world, and how its position as a major economic power and a potential flashpoint in the Asia-Pacific region affects the geopolitical balance of power in the 21st century. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

औपनिवेशिक काल से ही भारत के ~~भारत~~ ताइवान के साथ महत्वपूर्ण संबंध रहे है किन्तु वर्तमान परिदृश्य में इसकी भू-सामरिक ~~स्थि~~ स्थिति महत्वपूर्ण है।

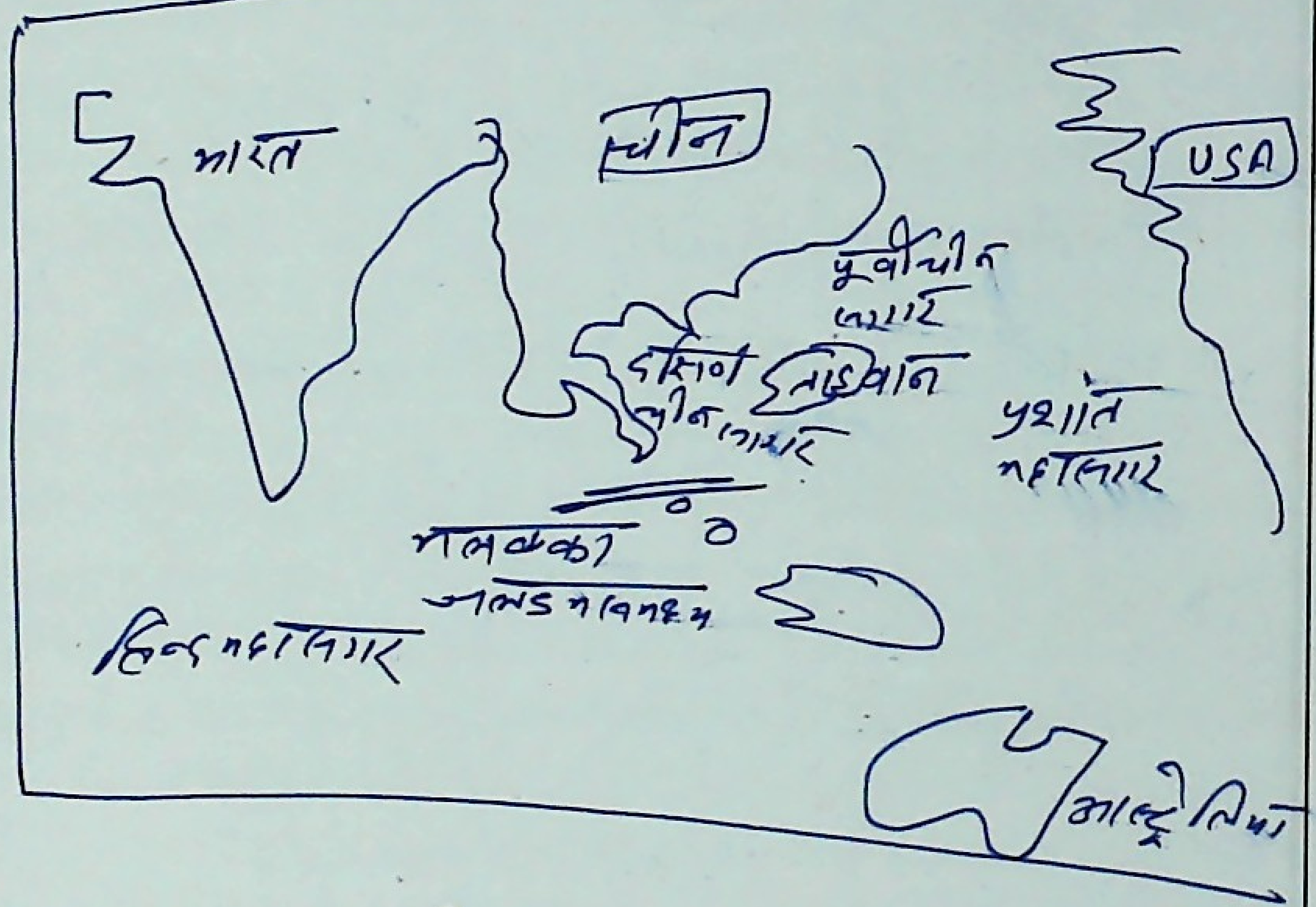

ताइवान का सामरिक महत्व :-

=> प्रशांत महासागर व हिन्द महासागर के मध्य में स्थित होने के कारण महत्वपूर्ण।

=> अंतर्द्वीपीय समुद्री व्यापार व संचार

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

मार्ग में स्थिति।

=> हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, शांति व स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण

=> दक्षिण-चीन सागर से निकटता, इसे इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण हितधारक बनाता है।

आर्थिक शक्ति के रूप में

=> विश्व में सेमीकंडक्टर विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका
↳ विश्वव्यापार में 40% की

=> उन्नत तकनीकी व कौशल प्रौद्योगिकी का वर्तमान विकास महत्वपूर्ण

=> मत्स्य उद्योग का विकसित रूप।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में संभावित फ्लैशप्वाइंट के रूप में -
↳ यह अमेरिका व चीन के बीच एक संघर्ष बिंदु के रूप में उभरा है क्योंकि चीन इसे 'वन चाइना पॉलिसी' के अनुरूप मानता है
↳ क्षेत्र की सुरक्षा - USA इसे चीन को काउंटर करने हेतु प्रयुक्त कर सकता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

हालिया चीनी वायुसेना द्वारा ताइवान के क्षेत्रों में की गई 'गोला-बारी' व फायरिंग, और टैंकों व शिप की तैनाती [illegible] शक्ति के भू-राजनीतिक असंतुलन के दिखलाती है, क्योंकि USA की विदेश मंत्री ने ताइवान की यात्रा की थी, जिसे चीन ने इसे राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल पाया।

वर्तमान में ताइवान भू-रणनीतिक अवस्थिति के कारण फ्लैशपाइंट पर है इसलिए हिन्द-प्रशांत क्षेत्र की समग्र शांति, स्थिरता व सुरक्षा को लेकर भारत को अपनी प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation